FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0126 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/05/2025 15:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/02/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:25 बजे **Time To (समय तक):** 15:17 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/05/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/05/2025 15:43:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 151 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** GRAM PANCHAYAT MANEVDA, PANCHYAT SAMITI GHNTIYALEE, JILA PHALODI
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SAROOPARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHERARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON BUGDEE, GHNTIYALEE, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON BUGDEE, GHNTIYALEE, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DASHRATH SINGH		पिता:BANNE SINGH SHEKHWAT	1. NITESHWAR MAHADEV MANDIR KE PASS,SHRIRAMNAGAR B.,JHOTWARA,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक ए सी बी जोधपूर ग्रामीण विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने के लिये। महोदय, निवेदन हैं कि मैं सरूपाराम पुत्र शेराराम जाति नाई उम्र 37 वर्ष गांव बुगडी तहसिल घटियाली जिला फलोदी का निवासी हुं। मैने गांव बुगडी में मेरी पत्नी श्रीमती द्रोपदी के नाम से 4551 मीटर sqr मीटर कृषि भुमि को औधयोगी कन्वर्जन दिनांक 26/11/2024 को तहसिल घटियाली से करवाया था। इसके बाद 28/11/2024 को मेने तुरत कन्वर्जन के दस्तावेज म्युटेशन भरने हेतु पटवार मडल बुगडी के पटवारी श्री दशरथरसिंह शैखावत को दिये थे। आज दिनांक तक म्युटेशन नहीं भरा है प्रकरीया धीन है उक्त म्युटेशनके बदले पटवारी श्री दशरथसिंह मेरे से 13000 रूपये कि रिश्वत मांग रहा है। मैं मेरे वाजिब काम के बदले उसे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं पटवारी श्री दशरथसिंह शेखावत को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री दशरथसिंह से कोई रंजीश नहीं है मेरी पटवारी से को लेन देन बकाया नहीं है। रिपोर्ट दे राहा हुं कानुनी कार्यवाही करे। दिनांक 31/01/2025 भवदीय एसडी सरूपाराम s /o शेराराम जाति नाई निवासी बुगडी तहसिल घटियाली जिला फलोदी 3423 मो. [redacted] कार्यवाही हेतु सहमति देती हूं। एसडी द्रोपदी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन है कि दिनांक 31.01.2025 को वक्त 3.25 पीएम. पर परिवादी श्री सरूपाराम पुत्र श्री शेराराम जाति नाई उम्र 37 वर्ष निवासी गांव बुगडी तहसील घटियाली जिला फलोदी ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट पेश कर दरियाफ्त पर बताया कि मैने गांव बुगडी में मेरी पत्नी श्रीमती द्रोपदी के नाम से 4551 मीटर sqr मीटर कृषि भुमि को औधयोगी कन्वर्जन दिनांक 26/11/2024 को तहसिल घटियाली से करवाया था। इसके बाद 28/11/2024 को मेने तुरत कन्वर्जन के दस्तावेज म्युटेशन भरने हेतु पटवार मडल बुगडी के पटवारी श्री दशरथ सिंह शेखावत को दिये थे। आज दिनांक तक म्युटेशन नहीं भरा है प्रकरीया धीन है उक्त म्युटेशन के बदले पटवारी श्री दशरथ सिंह मेरे से 13000 रूपये कि रिश्वत मांग रहा है। मै मेरे वाजिब काम के बदले उसे रिश्वत नहीं देना चाहता हुं। मैं पटवारी श्री दशरथ सिंह शेखावत को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं । मेरी श्री दशरथ सिंह से कोई रंजीश नहीं हुं मेरी पटवारी से को लेन देन बकाया नहीं है। रिपोर्ट दे रहा हुं कानुनी कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर अग्रीम कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 04.00 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामकिशोर कानि. 13 से परिवादी श्री सरूपाराम का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री सरूपाराम एवं श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी सरूपाराम व श्री रामकिशोर कानि. 13 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री सरूपाराम ने बताया कि आज शाम का समय हो गया तथा रास्ते में समय ज्यादा लगने से आज पटवारी श्री दशरथ सिंह मिलना मुशिकल है आईन्दा पटवारी श्री दशरथ सिंह पटवारी के उपस्थित होने पर मैं आपको सुचित कर दुंगा। जिस पर परिवादी श्री सरूपाराम को आवश्यक गोपनीयता बरतने एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी की उपस्थिती के बारे में मालुमात होने पर शीघ्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करे ताकि श्री रामकिशोर कानि. को आपके पास भेज कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाई जाने हेतु हिदायत कर रवाना किया जा सके। वक्त 04.30 पी.एम. परिवादी श्री सरूपाराम को आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 04.02.2025 को वक्त 6.00 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 13 ने कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज दिनांक 04.02.2025 को वक्त 5.47 पी.एम. पर मैने परिवादी श्री सरूपाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मेरे मोबाईल [redacted] से कालें किया तो परिवादी श्री सरूपाराम ने मुझे बताया कि श्री दशरथ सिंह पटवारी कल दिनांक 05.02.2025 को उपस्थित मिल सकते है। कल मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है, आप कल आ जावों मै आपको अपनी मोटरसाईकिल सहित चाडी गांव में उपस्थित मिल जाउंगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री रामकिशोर कानि. 13 को कल दिनांक 05.02.2025 को परिवादी श्री सरूपाराम से सम्पर्क

कर परिवादी श्री सरूपाराम व संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह के मध्य मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 05.02.2025 को वक्त 8.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वार्येस रिकार्ड निकालकर उसमे नया मेमोरी कार्ड डाल कर उक्त डिजिटल वायर्स रिकार्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वार्येस रिकार्डर श्री रामकिशोर कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री सरूपाराम से सम्पर्क कर आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी एवं परिवादी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाने की हिदायत देकर परिवादी के बताये अनुसार चाडी की तरफ रवाना किया गया। वक्त 3.17 पी. एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को श्री रामकिशोर कानि. 13 ने अपने मोबाईल फोन से मेरे मोबाईल पर कालें कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर जरिये बस ग्राम चाडी पहुंचा जहां पर परिवादी श्री सरूपाराम अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला जिस पर मैने परिवादी श्री सरूपाराम से संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी की उपस्थिती के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी श्री सरूपाराम ने गोपनीय रूप से मालूम कर मुझे बताया कि श्री दशरथ सिंह पटवारी आज ग्राम मानेवडा में फार्मर रजिस्ट्री कैम्प होने से कैम्प में ग्राम पंचायत मानेवडा पर उपस्थित है तथा संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी से ग्राम पंचायत मानेवडा में ही मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है जिस पर मैं व परिवादी श्री सरूपाराम परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर ग्राम पंचायत मानेवडा से थोडा पहले पहुचे जहा पर परिवादी की मोटरसाईकिल को एक तरफ रूकवाकर मैने कार्यालय का डिजिटल वार्येस रिकार्डर को चालु कर परिवादी श्री सरूपाराम के पहने हुए कमीज के सामने की उपर की बांई जेब में डालकर परिवादी सरूपाराम को अपनी मोटरसाईकिल से संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी से वार्ता करने हेतु ग्राम पंचायत मानेवडा की तरफ परिवादी स्वंय की मोटरसाईकिल से ही रवाना कर मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री सरूपाराम मेरे पास उपस्थित आया व डिजिटल वार्येस रिकार्डर अपनी जेब से निकाल कर चालु हालत में मुझे सुपर्द किया जिस पर मैने डिजिटल वार्येस रिकार्डर को स्विच आफॅ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी सरूपाराम ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर ग्राम पंचायत मानेवडा पहुंचा जंहा कैम्प फार्मर रजिस्ट्री कैम्प ग्राम पंचायत मानेवडा में श्री दशरथ सिंह पटवारी मुझे उपस्थित मिले जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री दशरथ सिंह पटवारी ने मेरे से मेरे म्यूटेशन भरने की एवज में 8,000/- रूपये की मांग कर आईन्दा 8,000/-रूपये बलराम को देने बाबत कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकिशोर कानि. को निर्देशित किया कि परिवादी श्री सरूपाराम को गोपनीयता बरतने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो जाने पर सुचित करने की हिदायत देकर वही पर छोडा जाने एवं कार्यालय डिजिटल वार्येस रिकार्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त 10.00 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 13 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वार्येस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्विच आफॅ शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त कार्यालय के डिजिटल वार्येस रिकार्डर को चालु कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी द्वारा परिवादी से उसके म्यूटेशन भरने की एवज में 8,000/-रू. रिश्वत की मांग करना तथा आईन्दा रिश्वत राशि बलराम को देने को कहा है। श्री दशरथ सिंह पटवारी द्वारा परिवादी श्री सरूपाराम से दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन 8,000/- रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वार्येस रिकार्डर को स्विच आफॅ कर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात दिनांक 12.02.2025 को वक्त 08.06 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री सरूपाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कालें किया तो परिवादी श्री सरूपाराम ने बताया कि मेरे पास श्री दशरथ सिंह पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाले राशि की व्यवस्था हो गई है तथा श्री दशरथ सिंह पटवारी कल दिनांक 13.02.2025 को पटवार कार्यालय बूंगडी या तहसील घटियाली में उपस्थित मिल सकते है। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 13.02.2025 को 11.00 ए.एम पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8,000/रूपये अपने साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 13.02.2025 को वक्तः 10.35 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जोधपुर के नाम से पत्र क्रमांक 353 दिनांक 13.02.2025 तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री ओमप्रकाश कानि 260 को उक्त पत्र सुपुर्द कर रवाना कार्यालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जोधपुर को किया गया। वक्त 12.05 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश कानि. 260 उपरोक्त फिकरा के कार्यालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जोधपुर गये हुए दो कार्मिकों को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री समुद्रसिंह जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी मनाणी तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह जाति राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी खाबडा तहसील ओसिंया जिला जोधपुर हाल संगणक

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। तत्पश्चात वक्त 12.15 पी.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सरूपाराम कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व में श्री रामकिशोर कानि के बताये गये हालात की ताईद करते हुए बताया कि मैं सग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 8,000/- रूपये लेकर उपस्थित आया हुं तथा दौराने मांग सत्यापन वार्ता के सग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी ने रिश्वत राशि 8,000/- रूपये आईन्दा बलराम को देने बाबत कहा है लेकिन मैं बलराम को नहीं जानता हुं ना हीं बलराम के पास मेरा कोई कार्य पैण्डिग है। तत्पश्चात वक्त 12.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री सरूपाराम एवं उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री सरूपाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय के डिजिटल वायॅस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त 01.00 पी.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री सरूपाराम पुत्र श्री शेराराम जाति नाई उम्र 37 वर्ष निवासी गांव बुगडी तहसील घटियाली जिला फलोदी ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि 8,000/- रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 16 नोट प्रस्तुत किये। प्रस्तुत नोटो के नम्बर निम्नानुसार है क्र.सं. नोट का विवरण 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397615 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397616 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397617 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397618 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397619 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397620 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397621 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397622 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397623 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397624 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397625 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397626 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397627 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397628 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397629 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 MU 397630 तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बलराम कानि. 252 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वती राशि 8,000/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री बलराम कानि. 252 को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री बलराम कानि. 252 से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सरूपाराम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री प्रतापसिंह से लिरवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 8,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री बलराम कानि. 252 से ही परिवादी श्री सरूपाराम के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. [redacted] से मन् पारस सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कालें / कालें अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री बलराम कानि. 252 के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री बलराम कानि. 252 से

डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलासे ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री बलराम कानि. 252 के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकस्मिक खर्च के 3000/- रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री बलराम कानि. 252 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार कर शामिल रनिंग नोट की गई। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। वक्त 2.35 पी.एम. पर परिवादी श्री सरूपाराम द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी की उपस्थिति का मालुमात कर परिवादी श्री सरूपाराम द्वारा बताये हालात अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आईन्दा कल दिनांक 14.02.2025 को करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री सरूपाराम को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वती राशि 8,000/- रूपये परिवादी श्री सरूपाराम के पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह सहायक सांख्यिकी अधिकारी से निकलवाये जाकर एक सफेद लिफाफे में लिपटवा कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सुरक्षित अलमारी मे रखा जाकर अलमारी की चाबी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखी गई। तत्पश्चात वक्तः 2.45 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं श्रवणसिंह संगणक को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नही छोडने एवं कल दिनांक 14.02.2025 को वक्त 8.00 एएम पर इस कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया साथ ही ब्यूरो जाब्ता को भी कल दिनांक 14.02.2025 को वक्त 8.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पांबद्व किया गया। वक्तः- 2.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सरूपाराम को हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी द्वारा आपसे सम्पर्क करने पर तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करावे साथ ही कल दिनांक 14.02.2025 को वक्त 12.00 पी.एम. पर तहसील कार्यालय घटियाली से थोडा पहले कंही गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 14.02.2025 को वक्त 8.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री श्रवणसिंह संगणक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबंदसुदा कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्त 9.03 ए.एम, पर परिवादी श्री सरूपाराम ने अपने वाट्स-अप नम्बर [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाट्स-अप नम्बर [redacted] पर एसएमएस से बताया कि मैने संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी का गोपनीय रूप से मालुमात किया तो पता चला कि संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी 12.00 पीएम पर तहसील कार्यालय में उपस्थित मिलेगा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी सरूपाराम को 12.00 पी.एम पर तहसील कार्यालय घटियाली से थोडा पहले गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त 9.05 ए.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व मे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे सफेद लिफाफ मे लपेट कर अलमारी मे सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि 8,000/- रुपये स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह सहायक सांख्यिकी अधिकारी से निकलवाकर उनके पास ही सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात वक्त 9.15 ए.एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी मय रिश्वत राशि एवं श्री श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से तहसील कार्यालय घटियाली की तरफ रवाना हुआ। वक्त 11.40 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व

कार्यालय का डिजिटल वार्येस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे.19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम आउ पहुंचें। तत्पश्चात वक्त 11.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री सरूपाराम के मोबाईल नं. [redacted] पर कालें कर सम्पर्क किया तो परिवादी श्री सरूपाराम ने बताया कि मैं अभी भोजासर गांव में उपस्थित हुं। मैने मेरे स्तर पर गोपनीय रूप से संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी की उपस्थिति के बारे मे मालूमात किया तो पता चला कि संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी तहसील कार्यालय घटियाली में उपस्थित नहीं होकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बाप में किसी मिटिंग में गया हुआ है जो शाम 4.00 पीएम तक तहसील कार्यालय घटियाली पर उपस्थित आयेगा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी सरूपाराम को भोजासर गांव के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए गोपनीय रूप से संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह के तहसील कार्यालय घटियाली में उपस्थित आने के ईन्तजार में मुकिम रहने एवं संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह के तहसील कार्यालय घटियाली में उपस्थित आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने की हिदायत दी जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन मय डिजिटल वार्येस रिकार्डर, ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटाप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली इत्यादि के ग्राम आउ से नागौर रोड पर पहुंच वाहनो को एकान्त में गोपनीय रूप से रोड की साईड में खडे करवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन एवं ब्यूरो जाब्ता के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए गोपनीय रूप से संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह के तहसील कार्यालय घटियाली में उपस्थित आने के ईन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात वक्त 4.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री सरूपाराम के मोबाईल नं. [redacted] पर कालें कर सम्पर्क किया तो परिवादी श्री सरूपाराम ने बताया कि मैने अभी गोपनीय रूप से तहसील कार्यालय घटियाली में पहुंच संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी की उपस्थिति के बारे मे मालूमात किया तो पता चला कि संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी तहसील कार्यालय घटियाली में उपस्थित नहीं है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी सरूपाराम को भोजासर के आस-पास गोपनीय रूप से उपस्थित मिलने की हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के हमराहियान सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन मय डिजिटल वार्येस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटाप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली इत्यादि के नागौर रोड से भोजासर की तरफ रवाना हुए। वक्त 4.30 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वार्येस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के भोजासर गांव मे थोडा आगे पहुंच वाहनो को रोड की साईड मे खडा कियां जहां पर परिवादी श्री सरूपाराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री सरूपाराम ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी तहसील कार्यालय घटियाली में उपस्थित नहीं है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी दशरथ सिंह पटवारी के मोबाईल नम्बर की लोकेशन ली गई तो उक्त लोकेशन सी श्रेणी (टावरें लोकेशन) की होने पर संदिग्ध आरोपी दशरथ सिंह पटवारी की उपस्थिति का स्पष्ट पता नहीं चल सका। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सरूपाराम के मोबाईल फोन से आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मोबाईल फोन पर कालें करवाया तो आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी ने कालें नही उठाया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी सरूपाराम को हिदायत की गई कि आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के तहसील कार्यालय घटियाली उपस्थित आने पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करें। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो टीम एवं परिवादी सरूपाराम के गोपनीयता की दृष्टि से भोजासर गांव के आस-पास गोपनीय रूप से अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के तहसील कार्यालय घटियाली उपस्थित आने के ईन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात वक्त 5.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सरूपाराम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी तक आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी तहसील कार्यालय घटियाली में उपस्थित नही आया हैं तथा ना ही उससे कोई सम्पर्क हो पा रहा हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सरूपाराम को निर्देशित किया कि आरोपी के अब तक उपस्थित नही आने से

आज कोई ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हैं साथ ही परिवादी को हिदायत दी गई कि आईन्दा आरोपी से सम्पर्क होते ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करे तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरती जावें। अतः आईन्दा परिवादी श्री सरूपाराम का आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी से सम्पर्क होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वक्त 5.35 पी.एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी मय रिश्वत राशि एवं श्री श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम भोजासर से एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त 8.00 पी.एम पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी मय रिश्वत राशि एवं श्री श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम भोजासर से एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण पहुंचा तथा रिश्वत राशि 8,000/- रुपये सफेद लिफाफे मे लपेटी हुई अवस्था मे ही स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सुरक्षित अलमारी मे रखवाई जाकर अलमारी का लाकॅ लगाकर चाबी मन अतिरिक्त पुलिस के कब्जे मे ली गई। वक्त 8.20 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री श्रवणसिंह संगणक को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने, इस कार्यालय की अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोडने तथा आईन्दा सुचित करने पर उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 18.02.2025 को वक्त 10.46 ए.एम. पर परिवादी श्री सरूपाराम ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कालॅ कर बताया कि संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी आज सुबह मेरे घर पर आ गया था तथा मुझसे रिश्वति राशि मांगी थी जिस पर मैने संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी को बैक से पैसे लेकर 4.00 पी.एम. पर ग्राम पंचायत बूंगडी आकर देने बाबत कहा है तथा संग्दिध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी आज ग्राम पंचायत बूंगडी उपस्थित है तथा आज ट्रेप कार्यवाही हो सकती है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी सरूपाराम को 3.30 पी.एम पर ग्राम बूंगडी से थोडा पहले भारत माला हाईवे के पास किसी गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त 12.30 पी.एम. पर पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री श्रवणसिंह संगणक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्त 12.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व मे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे सफेद लिफाफ मे लपेट कर अलमारी मे सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि 8,000/- रुपये स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह सहायक सांख्यिकी अधिकारी से निकलवाकर उनके पास ही सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात वक्त 01.15 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी मय रिश्वत राशि एवं श्री श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम बुगडी की तरफ रवाना हुआ। वक्त 03.35 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी मय रिश्वत राशि एवं श्री श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं

संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम बूंगडी से थोडा पहले पहुंचे जंहा पर पूर्व से पाबन्द सुदा परिवादी श्री सरूपाराम अपनी मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिला। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सरूपाराम को संग्दिध आरोपी श्री दशरथसिंह पटवारी की उपस्थिति के बारे मे पूछने पर बताया कि आरोपी श्री दशरथसिंह पटवारी ग्राम पंचायत बूंगडी में उपस्थित है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सरूपाराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह से लिवाई जाकर परिवादी के पास अपना मोबाईल फोन एवं मोटरसाईकिल की चाबी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि एवं दस्तावेजात नहीं रहने दिये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह के पास सफेद लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 8,000/- रूपये को उसकी जेब से निकलवाई जाकर लिफाफे से बाहर निकलवाकर रिश्वती राशि को परिवादी श्री सरूपाराम के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रखवाये गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह से उक्त सफेद लिफाफा जिसमे रिश्वत राशि रखी गई थी उक्त सफेद लिफाफे को जला कर नष्ट करवाया गया इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकस्मिक खर्च के 3540/- रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। तत्पश्चात वक्त 03.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वार्यस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वार्यस रिकार्डर का खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामकिशोर कानि. को सुपर्द कर परिवादी श्री सरूपाराम के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से ग्राम बूंगडी के लिए आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह, श्री श्रवणसिंह, ब्यूरो जाब्ता हमराहान के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन आर. जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 मय ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटाप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित दस्तावेज के ग्राम पंचायत बूंगडी के लिए रवाना हुए। वक्त 4.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह, श्री श्रवणसिंह, ब्यूरो जाब्ता के हमराहान के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन आर.जे. 19 सी.एच. 4143 व सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638, मय ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटाप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली के ग्राम पंचायत बूंगडी से थोडा पहले पहुंच वाहनों को रोड के साईड में एक तरफ गोपनीय स्थान पर खडे करवाये गये इसी दौरान परिवादी श्री सरूपाराम एवं श्री रामकिशोर कानि. 13, परिवादी की मोटरसाईकिल से उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय का डिजीटल वार्यस रिकार्डर चालू करवा कर परिवादी श्री सरूपाराम को सुपर्द करवाकर परिवादी को पैदल ही संदिग्ध आरोपी श्री दशरथसिंह पटवारी से रिश्वत राशि लेन-देन करने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय बुगडी के लिए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता ग्राम पंचायत कार्यालय बुगडी के आस-पास गोपनीय रूप से अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात वक्त 5.00 पी.एम. पर परिवादी श्री सरूपाराम बिना गोपनीय ईशारा किये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वार्यस रिकार्डर को स्वीच आफॅ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री सरूपाराम ने बताया कि मै डिजिटल वार्यस रिकार्डर लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय बुगडी पहुंचा जंहा पर संग्दिध आरोपी श्री दशरथसिंह पटवारी उपस्थित मिला तथा कुछ समय पश्चात संग्दिध आरोपी श्री दशरथसिंह पटवारी ग्राम पंचायत कार्यालय बूंगडी से बाहर आकर अपनी कार में मुझे बिठाकर मेरी फैक्ट्री की तरफ लेकर गया तथा मुझे मेरी फैक्ट्री के पास अपनी गाडी से उतारकर संग्दिध आरोपी श्री दशरथसिंह पटवारी आगे चला गया जो अभी तक वापस नहीं आने पर मै आपके पास वापस आया हुं। मेरे व संग्दिध आरोपी श्री दशरथसिंह पटवारी के बीच रिश्वत राशि लेन-देन सम्बधी कोई वार्ता नहीं हुई। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वार्यस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो डिजिटल वार्यस रिकार्डर मे परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत राशि के लेन-देन से संबंधित वार्ता होना नही पाई गई हैं इसलिये रिकार्डिग वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट नही बनाने का निर्णय लिया गया तथा आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री सरूपाराम को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वत राशि राशि 8,000/- रूपये परिवादी श्री सरूपाराम के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह से निकलवाये जाकर एक सफेद कागज में लिपटवा कर स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये तथा परिवादी श्री सरूपाराम को अब तक कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा संदिग्ध आरोपी दशरथसिंह पटवारी से सम्पर्क होने पर तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करने की हिदायत कर रुखसत दी गई। वक्त 5.10 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी मय रिश्वत राशि एवं श्री

श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम बूंगडी से एसीबी चोकी जोधपुर ग्रामीण को रवाना हुए। तत्पश्चात वक्त 07.30 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी मय रिश्वत राशि एवं श्री श्रवणसिंह संगणक, ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री सरूपाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी के मध्य हुई दिनांक 05.02.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के ग्राम बुगडी से एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण पहुंचा तथा रिश्वत राशि 8,000/- रुपये सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह से सुरक्षित अलमारी मे रखवाई जाकर अलमारी का लाकॅ लगाकर चाबी मन अतिरिक्त पुलिस के कब्जे मे ली गई। वक्त 07.40 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री प्रतापसिंह सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं श्री श्रवणसिंह संगणक को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने, इस कार्यालय की अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोडने तथा आईन्दा सुचित करने पर उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 19.02.2025 को वक्तः 12.00 पी.एम. पर परिवादी श्री सरूपाराम कार्यालय उपस्थित हो एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे द्वारा श्री दशरथसिंह पटवारी से सम्पर्क किया गया तो श्री दशरथसिंह पटवारी ने मुझे बताया की आपने मेरी एसीबी में शिकायत की है, मैने एसीबी की गाडियों को घुमते हुए देखा है मै आपसे बात नहीं करता आप जावो जिस पर मेरी जानकारी अनुसार श्री दशरथसिंह पटवारी को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई तथा उसको मेरे उपर अब शक हो गया है। अब वह मेरे से रिश्वती राशि नही लेगा उसे रंगे हाथो पकड़ा जाना सम्भव नही है। मेरे द्वारा दी गई रिश्वती राशि 8,000/- रूपये लौटाने की कृपा करावे। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। हालात उच्चाधिकारियें को निवेदन किये जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। वक्तः 01.00 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह एवं श्री श्रवणसिंह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। तत्पश्चात वक्तः 02.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री सरूपाराम पुत्र श्री शेराराम जाति नाई उम्र 37 वर्ष निवासी गांव बूंगडी तहसील घटियांली जिला फलोदी एवं आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी पटवार मंडल बूंगडी तहसील घटियाली जिला फलोदी के मध्य दिनांक 05.02.2025 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे 32 जी.बी. सनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता 32 जी.बी. सनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा से निकालकर रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री सरूपाराम के डिजिटल वायॅस रिकार्डर में उक्त 32 जी.बी. सनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो मैमोरी कार्ड डालकर, उक्त डिजिटल वायॅस रिकार्डर को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर लेप-टाप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री रामकिशोर कानि. 13 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री दशरथ सिंह पटवारी पटवार मंडल बूगडी तहसील घटियाली जिला फलोदी तथा परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री सरूपाराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे 32 जी.बी. सनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायॅस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय के लेप-टाप मे कापी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टाप की मदद से एक अन्य 32 जी.बी. सनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड व डब मैमोरी कार्ड की हेज वेल्यू निकाली गई तो उक्त दोनों मैमोरी कार्ड की हेज वेल्यू समान होना पाई गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 32 जी.बी. सनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 8.10 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मैमोरी कार्ड डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री सरूपाराम के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मूल मैमोरी कार्ड व डब मैमोरी कार्ड की निकाली गई हेज वेल्यू पर भी संबधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग

नोट की गई।उक्त शील्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड व डब मैमोरी कार्ड मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्तः 3.00 पी.एम. पर स्वंतत्र गवाह् श्री प्रतापसिंह् से कार्यालय की अलमारी में पूर्व से स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह से ही रखवाई रिश्वती राशि 8,000/- रूपये सफेद कागज में लिपटी हुई निकलवाई जाकर गवाह् श्री प्रतापसिंह से नोटो पर लगाया गया फिनोथफ्लीन पाउडर झटकवाया जाकर 8,000/- रिश्वती राशि रूबरू गवाहान परिवादी श्री सरूपाराम को सुपुर्द की जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली करते हुए परिवादी श्री सरूपाराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। आरोपी श्री दशरथसिंह पटवारी पटवार हल्का बुगडी तहसील घटियाली जिला फलोदी द्वारा दौराने मांग सत्यापन वार्ता अनुसार परिवादी श्री सरूपाराम से उनके म्यूटेशन भरने की एवज में 8,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। इस तरह श्री दशरथसिंह पटवारी पटवार हल्का बुगडी तहसील घटियाली जिला फलोदी का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। अतः आरोपी श्री दशरथसिंह पुत्र बन्नेसिंह शेखावत उम्र 44 वर्ष निवासी श्रीरामनगर बी. नितेश्वर महादेव मन्दिर के पास झोटवाडा जयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल बुंगडी तहसील घंटियाली जिला फलोदी का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रंमाकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण............कार्यवाही पुलिस.................... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दशरथसिंह पुत्र बन्नेसिंह शेखावत उम्र 44 वर्ष निवासी श्रीरामनगर बी. नितेश्वर महादेव मन्दिर के पास झोटवाडा जयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल बुंगडी तहसील घंटियाली जिला फलोदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोरर्धन राम, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर इन्टें., जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 429 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 734-37 दिनांक 23.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जाेधपुर क्रम संख्या -1 जोधपुर, 2. जिला कलक्टर फलोदी। 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** gordhan ram **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/05/2025 15:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/06/1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)